



सत्यमेव जयते

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) –द्वितीय का कार्यालय, मध्यप्रदेश  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / बिहार-07 / 2019-20

दिनांक:- 10.01.2020


प्रति,

सभी जिला कोषालय अधिकारी

विषय:- षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से 154 प्रतिशत के स्थान पर 164 प्रतिशत मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

- संदर्भ:- 1. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार के पत्र क्रमांक SSA-Pen-09-(2019-20)-158 दिनांक 02.12.2019
2. बिहार सरकार, वित्त विभाग शासन आदेश क्रमांक सं.-3ए-2-वे.पु.-(भत्ता)-08/2013-8952/वि. दिनांक 11.11.2019

उपरोक्त विषय में लेख है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार से प्राप्त विशेष मुद्रा प्राधिकार के द्वारा बिहार सरकार के शासन आदेशानुसार षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से 154 प्रतिशत के स्थान पर 164 प्रतिशत मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में आदेश की प्रति प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट [www.agmp.nic.in](http://www.agmp.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / बिहार-07 / 2019-20

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना-800001 के पत्र दिनांक 02.12.2019 के संबंध में सूचनार्थ।

—sd/—  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

SP-420036725

दूरभाष/Telephone-2223251  
2225766, 2224812



फैक्स / Fax - 0612-2221056

तार / Tele Gram : ACCOUNTS

008569

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना  
OFFICE OF THE Pr. ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

No. :- Pen-9-SSA-(19-20)-158

Date:- 02/12/2019

To,  
The

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1  | Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh & Telangana, Saifabad, Hyderabad  | 500004 |
| 2  | Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun   | 791110 |
| 3  | Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon, Beltola, Guwahati   | 781029 |
| 4  | Accountant General (A&E), Jharkhand, Ranchi  | 834002 |
| 5  | Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. Of Goa, Director of Accounts, pension Section, Panji, Goa                                       | 403101 |
| 6  | Accountant General (A&E), Chhatisgrah, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafidih, Raipur  | 492009 |
| 7  | Accountant General (A&E), Gujarat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad   | 380009 |
| 8  | Accountant General (A&E), Harayana, Lekhabhawan, Plot No. 4&5, Sector-33-B, Chandigrah   | 160047 |
| 9  | Senior Deputy Accountant General (A&E), Himanchal Pradesh, Gorton Castle Building, Shmila  | 171003 |
| 10 | Pr. Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar  | 190009 |
| 11 | Pr. Accountant General (A&E),Karnatka, residency Parm Road, Post Box No.5 Bangalore  | 560001 |
| 12 | Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram  | 695039 |
| 13 | Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior   | 474002 |
| 14 | Pr. Accountant General (A&E), Maharashtra, 2 <sup>nd</sup> Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharsh <sup>3</sup> Karv, Mumbai | 400020 |
| 15 | Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line. Nagpur  | 440001 |
| 16 | Sr. Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal   | 795001 |
| 17 | Accountant General (A&E), Meghlalya, Shilong   | 793001 |
| 18 | Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Buildignh, Dinthar, Aizawl  | 796001 |
| 19 | Sr. Deputy Accountant General (A&E), Nagaland Kohima   | 797001 |
| 20 | Accountant General (A&E), Orissa, Bhuneshwar   | 751001 |
| 21 | Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigrah, Sector- 17E, Chandigarh  | 160017 |
| 22 | Pr. Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhawagan Das Road, Jaipur   | 302005 |

PA

इमर

JA-12  
17-12-19

कार्या. महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वितीय  
पंजीकृत डांक  
400020  
10 DEC 2019  
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

|    |  |         |
|----|--|---------|
| 23 | Sr. Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deoria, PO- Tadong, Gangtok                            | 737102  |
| 24 | Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai  | 600018  |
| 25 | Sr. Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjanban, Agartala  | 799006  |
| 26 | Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojni Naidu, Marg, Allahabad  | 211001  |
| 27 | Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majram, Dehradun                   | 248171  |
| 28 | Pr. Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Building, No.- 2, Govt. Place (West), Kolkata                          | 700001  |
| 29 | Director of Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry, Pondicherry   | 605001  |
| 30 | Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3 <sup>rd</sup> Floor, Akbar Bhawan, New Delhi                       | 110007  |
| 31 | Pay & Accounts Officer(V), Delhi Administration, TIS Hazari, New Delhi   | 1100124 |
| 32 | Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi | 110021  |

**Subject:** Grant of Dearness Relief/ Medical Allowance/ Revision of pension/ amendment of pension rules of state government pensioner.

**Reference:** Government resolution No.3ए-2-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-8952/वि०पटना, दिनांक-11.11.2019  
(Grant of DR @164% w.e.f. 01.07.2019)


Sir,

I am to forward herewith Hindi/ English version of copy of Govt. of Bihar resolution mentioned above for your needful action. You are requested to circulate this order to all concern pensions disbursing authority under your jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same.

**Enclosure: Resolution of Government of Bihar.**

Yours faithfully

  
Sr. Accounts Officer  
Bihar, Patna.

## बिहार सरकार

## वित्त विभाग

## संकल्प

पटना, दिनांक:-11/11/2019

**विषय:-** षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2019 के प्रभाव से 154 प्रतिशत के स्थान पर 164 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-5363/वि० दिनांक-26/06/2019 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र के अनुरूप दिनांक 01/01/2019 के प्रभाव से 154 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/3(1)/2008-E-II(B) दिनांक-25/10/2019 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/भत्ते आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 154 प्रतिशत से बढ़ाकर 164 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि:-

- (i) षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2019 के प्रभाव से 154 प्रतिशत के स्थान पर 164 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।
- (ii) अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा।
- (iii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा।
- (iv) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशन भोगियों को भी देय होगी, जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्डक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वाले को भी यह राहत देय होगी।

6. पेंशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

7. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 8952/वि०

पटना, दिनांक:-11/11/2019

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापकः-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 8952/वि०

पटना, दिनांक:-11/11/2019

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।